न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—3 / 2022 (2022 / 33) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—मोवनीदेवी पत्नि मांगीलाल भाटी (तेली) निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1—गेहरीलाल आत्मज बख्तावर बैरवा निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—छोगा आत्मज भज्जा बैरवा निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—पुजा पुत्री हरलाल बैरवा ना.बा.बे.वि. जरिये माता सोवनी पत्नि हरलाल बैरवा निवासी पालरां
4—पुरणमल आत्मज हरलाल बैरवा निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—ब्रदीलाल आत्मज बख्तावर बैरवा निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—बालु आत्मज भज्जा बैरवा निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—मेताबी पत्नि बख्तावर बैरवा निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8—माया पुत्री हरलाल बैरवा ना.बा.बे.वि. जरिये माता सोवनी पत्नि हरलाल बैरवा निवासी पालरां
9—सोवनी पत्नि हरलाल बैरवा निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. महेन्द्रसिंह चुण्डावत —

प्रार्थी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक—22.03.2022

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 3358 / 1649 रकबा 1.08 है0 ओद्यौगिक प्रयोजनार्थ ग्राम पालरा पटवार मण्डल पालरा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी मय नक्शा ट्रेस के साथ प्रस्तुत की है। प्रार्थीया की उक्त वर्णित आराजी में आवागमन का एक मात्र रास्ता विपक्षीगण 1 लगायत 9 की आराजी संख्या 1643 रकबा 0.25 है0 व 3380 / 1638 रकबा 0.13 है0 की दक्षिणी पाली पर होते हुए आगे विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 9 की आराजी संख्या 3384 / 1649 रकबा 0.05 है0 के दक्षिणी पूर्वी कोने से प्रार्थीया की आराजी संख्या 3358 / 1649 में प्रवेश करते है। उक्त रास्ता 15 फीट चोड़ाई में स्थित है। मौके पर रास्ता विद्यमान है। इसी रास्ते से प्रार्थीया अपनी आराजी से संज, बैल, बैलगाड़ी ट्रेक्टर पैदल सहित आवागमन करती चली आ रही है। इस रास्ते के अलावा अन्य कोई आवागमन का रास्ता विद्यमान नही है जिससे प्रार्थीया को उक्त आराजी में आवागमन का उक्त रास्ता दर्ज करवाया जाना आवश्यक हो गया है। उक्त रास्ता मौके पर खुला हुआ होकर उक्तानुसार रास्ता विद्यमान है जिससे विपक्षीगण बन्द करने व रास्ते में बाधा उत्पन्न करने की धमकी देते है जिससे उक्त आवागमन के रास्ते को राजस्व रेकार्ड में गे.मु. रास्ता दर्ज करवाया जाना आवश्यक हो गया है। अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व ग्राम पालरां पटवार मण्डल पालरां के बैरून हल्का [illegible] स्थित प्रार्थीया की आराजी संख्या 3358 / 1649 में आवागमन करने [illegible] बिलानाम आराजी संख्या 1643, 3380 / 1638 की दक्षिणी पाली पर होते हुए आगे [illegible] संख्या 1 लगा[illegible] की आराजी संख्या 3384 / 1649 के दक्षिणी पूर्वी [illegible] या की आराजी सं[illegible]8 / 1649 में 15 फीट चौड़ाई में स्थित है को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम किस्म रास्ता दर्ज करने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम सादर फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 17:21:17 IST
Reason: SelfAttested

मुकदमा नम्बरः–3/2022 (2022/33) प्रार्थना पत्र

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 लगायत 9 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई जिसमें तहसीलदार रायपुर द्वारा अंकन किया कि खातेदारी आराजी संख्या 3268/1637 रकबा 1.00 है0 पूर्वी मेड़ पर रास्ता बना हुआ है जिसमें प्रार्थीया एवं अन्य खातेदारो द्वारा आवागमन किया जा रहा है जिसमें खातेदारो द्वारा कोई आपत्ति नही है एवं रास्ता के दोनो तरफ पत्थर की दीवार बना कर छोड़ रखा है। इसी प्रकार आराजी संख्या 3379/1638 मे भी मौके पर रास्ता उपयोग में आ रहा है। उक्त रास्ते के प्रार्थीया की भूमि बीच खातेदारी आराजी संख्या 3380/1638, आराजी संख्या 1643, आराजी संख्या 3384/1649 की दक्षिणी मेड पर आवागमन किया जा रहा है। मौके पर रास्ता खुला है जिसको प्रार्थीया 15 फीट चोड़ाई में दर्ज करवाना चाहती है। प्रार्थीया की आराजी संख्या 3358/1649 में आवागमन का रास्ता रेकार्ड में दर्ज नही है। मौके पर उपरोक्त वर्णित रास्ता खुला हुआ है बन्द नही है। मौके पर उक्त विवादित रास्ते के अलावा कोई अन्य रास्ता नही है। वर्तमान में आराजी संख्या 3268/1637, आराजी संख्या 3379/1639, आराजी संख्या 3380/1538, आराजी संख्या 1643 व आराजी संख्या 3384/1649 में होकर आवागमन किया जा रहा है। प्रार्थीया द्वारा चाहा गया रास्ता आराजी संख्या 3380/1638 रकबा 0.13 है0 मे से रकबा 0.0050 है0, आराजी संख्या 1643 रकबा 0.25 है0 में रकबा 0.02 है0, व आराजी संख्या 3384/1649 रकबा 0.05 है0 मे से 0.0050 है0 कुल 0.03 है0 यानि 300 वर्गमीटर भूमि बनती है जो खातेदारी दर्ज है। डीएलसी असिंचित दूर 418103/–रूपये प्रति है0 है जिससे 12540/–रूपये बनती है जिसकी दुगुनी राशि 25080/–रूपये है। प्रस्तावित रास्ते को संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है। उक्त रास्ते के अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है।

मैंने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट तथा प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थीया द्वारा जो रास्ता प्रस्तावित किया गया है जो खातेदारी रास्ते से विपक्षी संख्या 1 लगायत 9 की आराजी संख्या 3380/1638, 1643 की दक्षिणी पाली पर होते हुए आगे विपक्षीगण की आराजी संख्या 3384/1649 के दक्षिणी पूर्वी कोने से प्रार्थीगण की आराजी संख्या 3358/1649 में प्रवेश करते है। तहसीलदार रायपुर की मौका रिपोर्ट अनुसार इसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद नही है एवं रास्ता वर्तमान में चालु है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम पालरा तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीया की खातेदारी आराजी संख्या 3358/1649 में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 3380/1638 रकबा 0.13 है0 मे से रकबा 0.0050 है0, आराजी संख्या 1643 रकबा 0.25 है0 में रकबा 0.02 है0, व आराजी संख्या 3384/1649 रकबा 0.05 है0 मे से 0.0050 है0 कुल 0.03 है0 यानि 300 वर्गमीटर भूमि बनती है जो रास्ते के उपयोग में आ रही है जिसकी डीएलसी [illegible]/–रूपये प्रति हैक्टयर है जिससे 12540/–रूपये राशि बनती है जिसका दुगुना करने पर 25080/–रूपये मुआवजा राशि बनती है। उक्त राशि का प्रार्थीया द्वारा विपक्षी खातेदारान को भुगतान करने पर प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे [illegible] रायपुर को हुक्मनामा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.03.2022 को मेरे [illegible] लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 17:21:17 IST
Reason: SelfAttested

22/3/22

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:-सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः-3/2022 (2022/33) प्रार्थना पत्र

अनवान

1-मोवनीदेवी पत्नि मांगीलाल भाटी (तेली) निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1-गेहरीलाल आत्मज बख्तावर बैरवा निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2-छोगा आत्मज भज्जा बैरवा निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3-पुजा पुत्री हरलाल बैरवा ना.बा.बे.वि. जरिये माता सोवनी पत्नि हरलाल बैरवा निवासी पालरां
4-पुरणमल आत्मज हरलाल बैरवा निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5-ब्रदीलाल आत्मज बख्तावर बैरवा निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6-बालु आत्मज भज्जा बैरवा निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7-मेताबी पत्नि बख्तावर बैरवा निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8-माया पुत्री हरलाल बैरवा ना.बा.बे.वि. जरिये माता सोवनी पत्नि हरलाल बैरवा निवासी पालरां
9-सोवनी पत्नि हरलाल बैरवा निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :-तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम पालरा तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीया की खातेदारी आराजी संख्या 3358/1649 में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 3380/1638 रकबा 0.13 है0 मे से रकबा 0.0050 है0, आराजी संख्या 1643 रकबा 0.25 है0 में रकबा 0.02 है0, व आराजी संख्या 3384/1649 रकबा 0.05 है0 मे से 0.0050 है0 कुल 0.03 है0 यानि 300 वर्गमीटर भूमि बनती है जो रास्ते के उपयोग में आ रही है जिसकी डीएलसी दर 418103/-रूपये प्रति हैक्टयर है जिससे 12540/-रूपये राशि बनती है जिसका दुगुना करने पर 25080/-रूपये मुआवजा राशि बनती है। उक्त राशि का प्रार्थीया द्वारा विपक्षी खातेदारान को भुगतान करने पर प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 22.03.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

22/03/22

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 17:21:17 IST
Reason: SelfAttested